255

116

/TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA/

GOVERNMENT OF INDA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

* * * * * *

New Delhi-110001, the 28th October, 1972.

NOTIFICATION

S.O. 3619.- In pursuance of clause (1) of Article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators (whether known as Lieutenant Governor or Chief Commissioner or Administrator) of the Union territories of Delhi, Arunachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, Dadra and Nagar Haveli, Goa, Daman and Diu, Mizoram, Pondicherry and Chandigarh shall, subject to the control of the President and until further orders exercise the powers and discharge the functions of the State Government as appropriate Government under the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972) within their respective Union territories.

/No. F.2/9/72-UTL/

M.R. Sachdeva

(M.R. SACHDEVA)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, 28 अक्टूबर, 1972 ।

अधिसूचना

का0 आ0 3619 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि दिल्ली, अरूणाचल प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, गोवा, दमण और दीव, मिज़ोराम, पाँडिचेरी और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक (चाहे उपराज्यपाल हो या मुख्य आयुक्त हो या प्रशासक हो), राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेशों तक अपने-अपने संघ राज्यक्षेत्र के भीतर उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के अधीन समुचित सरकार के रूप में राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(सं0 एफ0 2/9/72-यू0टी0एल0)

एम0 आर0 सचदेव

(एम0 आर0 सचदेव)
अवर सचिव, भारत सरकार ।

To

The General Manager,
Government of India Press,
Main Wing, New Delhi.